न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 82/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/209

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
कासम खां पुत्र हिन्दाल खां वगैरह	उसमान पुत्र सिदीक वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 09.10.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहित शाह जूनेजा उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 (अ, ब, स) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह अचलपुर उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 03.12.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से सरहद मौजा सेड़िया, पटवार हल्का गुन्दाउ, तहसील–सांचौर मे स्थित खातेदारी का खेत पुराने खसरा नंबर 480 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा में से 12 बीघा भूमि क्रय की थी, तब से उक्त भूमि पर प्रार्थीण का खरीदसुदा आराजी पर निर्बाध रूप से सहज व शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। उक्त पुराने खसरा संख्या 480 में से नवीन खसरा संख्या 448 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खसरा नंबर 481 रकबा 1.97 हैक्टेयर, खसरा नंबर 482/784 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 796 रकबा 2.52 हैक्टेयर सृजित किए गए है। प्रार्थीगण अनपढ़ काश्तकार व्यकित है, उक्त खरीदसुदा आराजी की बैचान रजिस्ट्री दिनांक 07.09.1996 की नकल मूल से मिलान कर तत्कालीन पटवारी हल्का गुन्दाउ को दे दी थी, उसके आधार पर हम प्रार्थीगण ने अपने नाम से खरीदसुदा आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम हस्तांतरित होना मानकर खरीदसुदा भूमि पर लगातार काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने सरहद मौजा सेड़िया के पुराने खसरा संख्या रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा में से 12 बीघा भूमि हम प्रार्थीगण को बैचान कर दी है। उक्त पुराने खसरा संख्या 480 में से नवीन खसरा संख्या 448 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खसरा नंबर 481 रकबा 1.97 हैक्टेयर, खसरा नंबर 482/784 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 796 रकबा 2.52 हैक्टेयर सृजित किए गए है। उक्त भूमि हमारे नाम खातेदारी में दर्ज करने तथा हमारे शांतिपूर्वक उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी अप्रार्थीगण नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा हम प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी होने से दावा बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय अदालत में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सफल होने की प्रार्थीगण को पूर्ण रूप से संभावना है मगर मूल वाद के निर्णय में लम्बा समय लगेगा। ऐसी सूरत में यदि अप्रार्थीगण को अविलम्ब जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका गया तो अप्रार्थीगण उनके नाम दर्ज गलत खातेदारी के आधार पर वादग्रस्त आराजी आगे किसी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:13:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

बैचान कर हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से की भूमि से जबरन हमें बेदखल कर देंगे, जिससे हम प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रूपयों पैसो में किया जाना कतई मुमकिन नहीं होगा। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर माननीय अदालत से निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमावें जावें कि वे वांके सरहद मौजा सेड़िया, तहसील सांचौर में स्थित नवीन खसरा संख्या 448 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खसरा नंबर 481 रकबा 1.97 हैक्टेयर, खसरा नंबर 482/784 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 796 रकबा 2.52 हैक्टेयर में स्थित प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी या नुक्शअमन ही करें तथा न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही वादग्रस्त आराजी आगे किसी को बैचान, रहन, भोगलावा, गिरवी, तर्क व बख्शीश वगैरह ही करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के वारिसान् अ, ब व स की ओर से जवाब प्रार्थना–पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के खातेदारी कब्जे काश्त में प्रार्थीगण को किसी प्रकार से दखलंदाजी करने का कोई कानूनीया अधिकार स्थापित नहीं होने से प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाय। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सेड़िया, पटवार हल्का–गुन्दाउ में स्थित खातेदारी भूमि पुराने खसरा नंबर 480 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा में से 12 बीघा भूमि प्रार्थीगण ने जरिये बैचार रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से दिनांक 07.09.1996 को खरीद की है। उक्त पुराने खसरा नंबर 480 में से नवीन खसरा नंबर 448 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खसरा नंबर 481 रकबा 1.97 हैक्टेयर, खसरा नंबर 482/784 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नं[illegible] रकबा 2.52 हैक्टेयर सृजित किये गये है। उक्त वादग्रस्त आराजी की अप्रार्थीगण [illegible] की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:43:54 IST
Reason: SelfAttested

(प्र[illegible] कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **03.12.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर